

An occasional column on significant developments in the media world

By Ashok Mansukhani



मीडिया की दुनिया में महत्वपूर्ण घटनाओं पर एक सामयिक स्तंभ

लेखक: अशोक मनसुखानी

NEW REGULATORY MOVES INCREASE GOVERNMENT OVERSIGHT

The past few weeks have been very active for a comprehensive overhaul of Communication and Media Regulation by the Government. Some key developments are discussed below. These will bring about a uniformity in the regulatory regimes and hopefully help the legacy media/digital media and social media have clarity on the role of Regulation in steering their businesses in this exciting multimedia era.

1. AMENDMENTS TO CABLE RULES 1994- WELCOME STEP TO SELF-REGULATION WITH STRONG GOVERNMENT OVERSIGHT.

On **17.06.2021**, the Press Information Bureau issued a press release from the Ministry of Information and Broadcasting amending the **Cable Television Network Rules 1994**. This was accompanied by a tweet from the Minister of Information and Broadcasting, Mr Prakash Javedkar, stating: by amending the **Cable Television Network Rules 1994**, (has) developed a **statutory mechanism** to redress citizens grievances and complaints against programmes of T.V. channels. The @MIB India has also decided to recognise the **statutory bodies** of T.V. channels under **CTN Rules**.”

A detailed Press Information Bureau release of **17.06.2021** provided the highlights explaining that at present,

- ◆ “There is an **institutional mechanism** by way of an Inter-Ministerial Committee to address grievances of

नये नियामक कदम सरकार की निगरानी बढ़ाते हैं

सरकार द्वारा संचार और मीडिया विनियमन के व्यापक ओवरहाल के लिए पिछले कुछ सप्ताह बेहद सक्रिय रहे हैं। कुछ प्रमुख घटनाक्रमों पर नीचे चर्चा की गयी है। ये नियामक व्यवस्था में एकरूपता लायेगी और उम्मीद है कि इस रोमांचक मल्टीमीडिया युग में अपने व्यवसायों को चलाने में विनियमन की भूमिका पर विरासत मीडिया/डिजिटल मीडिया और सोशल मीडिया को स्पष्टता में मदद मिलेगी।

1. केबल नियम 1994 में संशोधन - मजबूत सरकारी निरीक्षण के साथ स्व-विनियमन के लिए स्वागतयोग्य कदम है।

17.06.2021 को, प्रेस सूचना ब्यूरो ने **केबल टेलीविजन नेटवर्क नियम 1994** में संशोधन करते हुए सूचना व प्रसारण मंत्रालय से एक प्रेस विज्ञप्ति जारी की। इसके साथ सूचना व प्रसारण मंत्री श्री प्रकाश जावड़ेकर ने एक ट्वीट के साथ कहा कि **‘केबल टेलीविजन नेटवर्क नियम, 1994** (हि) ने टीवी चैनलों के कार्यक्रमों के खिलाफ नागरिकों की शिकायतों और शिकायतों के निवारण

के लिए एक वैधानिक तंत्र विकसित किया है। @MIB India ने **सीटीएन नियमों** के तहत टीवी चैनलों के **वैधानिक निकायों** को मान्यता देने का भी निर्णय लिया है।

दिनांक **17.06.2021** की विस्तृत प्रेस सूचना ब्यूरो द्वारा जारी की गयी विज्ञप्ति में यह स्पष्ट किया गया है कि वर्तमान में:

- ◆ नियमों के तहत कार्यक्रम/विज्ञापन कोड के उल्लंघन से संबंधित नागरिकों की शिकायतों को दूर करने के लिए एक अंतर-मंत्रालयी



citizens relating to violation of the **Programme/Advertising Codes under the Rules**. Similarly, various Broadcasters have also developed their **internal self-regulatory mechanism** for addressing grievances.

- ◆ However, a need was felt to lay down a **statutory mechanism** for strengthening the grievance redressal structure. Some Broadcasters had also requested for giving **legal recognition** to their associations/bodies.
- ◆ The Hon'ble Supreme Court, in its order in **W.P. (C) No. 387 of 2000 in the matter of "Common Cause Vs Union of India & Others"** while expressing satisfaction over the existing mechanism of grievance redressal set up by the Central Government, had advised framing appropriate rules to formalise the complaint redressal mechanism.
- ◆ **"The above notification is significant as it paves the way for a strong institutional system for redressing grievances while placing accountability and responsibility on the Broadcasters and their self-regulating bodies."**

The main changes are intended to finally shift **responsibility** for adherence to the **Advertising and Programme Codes** to the Broadcasters. The Cable Act was enacted by an Ordinance in 1994 and became an Act in 1995. In the same year, the Supreme Court in the (1995) **2 SCC 161 Cricket Association of Bengal judgment** ruled that

- ◆ Airwaves or frequencies are **public property**. Their use has to be controlled and regulated by a public authority in the interests of the public and to prevent the invasion of their rights. The Central Government shall take immediate steps to set up an **independent, autonomous public authority** representative of all Sections and interests in society to control and regulate the use of airwaves.

Three efforts at Broadcast/Converged Regulation in 1997/2006 and 2001 failed to pass in Parliament.

Finally, in 2008, self-regulatory bodies were set up by the Broadcasters -**Indian Broadcaster Federation (IBF) and News Broadcasters Association (NBA) named Broadcast Contents Complaints Council (BCCC) and News Broadcasters Standards Authority (NBSA)**. A breakaway **News Broadcasters Federation** also set up a self-regulatory body named **Professional News Broadcasters Standards Organisation -PNBSO** in 2020. Unlike the **Advertising Standards Council of India (ASCI)**, they lacked statutory recognition till June 17, 2021.

समिति के माध्यम से एक संस्थागत तंत्र है। इसी तरह, विभिन्न प्रसारकों ने भी शिकायत दूर करने के लिए अपने **आंतरिक स्व-नियामक तंत्र** का विकास किया है।

- ◆ तथापि, शिकायत निवारण ढांचे को मजबूत करने के लिए एक वैधानिक तंत्र बनाने की आवश्यकता महसूस की गयी। कुछ प्रसारकों ने अपने संघों/निकायों को कानूनी मान्यता देने का भी अनुरोध किया था।
- ◆ माननीय उच्चतम न्यायालय ने 'सामान्य कारण बनाम भारत संघ और अन्य' के मामले में 2000 के डब्ल्यूपी (सी) संख्या 387 में अपने आदेश में केंद्र सरकार द्वारा स्थापित शिकायत निवारण के मौजूदा तंत्र पर संतोष व्यक्त करते हुए शिकायत निवारण तंत्र को औपचारिक रूप देने के लिए उचित नियम बनाने की सलाह दी थी।
- ◆ **उपरोक्त अधिसूचना महत्वपूर्ण है क्योंकि यह प्रसारकों और उनके स्व-विनियमन निकायों पर जवाबदेही और जिम्मेदारी रखते हुए शिकायतों के निवारण के लिए एक मजबूत संस्थागत प्रणाली का मार्ग प्रशस्त करती है।**

मुख्य परिवर्तन का उद्देश्य अंततः **विज्ञापन और कार्यक्रम** संहिताओं के पालन की **जिम्मेदारी** प्रसारकों को देना है। केवल अधिनियम 1994 एक अध्यादेश द्वारा अधिनियमित किया गया था और 1995 में एक अधिनियम बन गया था। उसी वर्ष, सर्वोच्च न्यायालय ने (1995) **2 एससीसी 161 क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ बंगाल** के मामले में फैसला सुनाया था कि

- ◆ एयरवेव या फ्रीक्वेंसी **सार्वजनिक संपत्ति** है। जनता के हित में और उनके अधिकारों के अतिक्रमण को रोकने के लिए उनके उपयोग को एक सार्वजनिक प्राधिकरण द्वारा नियंत्रित व विनियमित किया जाना चाहिए। ...केंद्र सरकार एयरवेव्स के उपयोग को नियंत्रित व विनियमित करने के लिए समाज के सभी वर्गों और हितों के एक स्वतंत्र, स्वायत्त सार्वजनिक प्राधिकरण के प्रतिनिधि की स्थापना के लिए तत्काल कदम उठायेगी।

1997/2006 और 2001 में प्रसारण/कन्वर्जंस विनियमन के तीन प्रयास संसद में पारित होने में विफल रहे।

अंत में 2008 में प्रसारकों ने **इंडियन ब्रॉडकास्टर फेडरेशन (आईबीएफ) और न्यूज ब्रॉडकास्टर्स एसोसिएशन (एनबीए)** द्वारा **ब्रॉडकास्ट कंटेंट कंजेंट्स काउंसिल (बीसीसीसी)** और **न्यूज ब्रॉडकास्टर्स स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी (एनबीएसए)** नामक स्व नियामक निकायों की स्थापना की गयी। एक अलग हुए **न्यूज ब्रॉडकास्टर्स फेडरेशन ने प्रोफेशनल न्यूज ब्रॉडकास्टर्स स्टैंडर्ड्स ऑर्गनाइजेशन -पीएनबीएसओइन 2020** नामक एक स्व नियामक निकाय की स्थापना की। **भारतीय विज्ञापन मानक परिषद (एएससीआई)** के विपरीत, उन्हें **17 जून 2021 तक वैधानिक मान्यता नहीं मिली थी।**

The issue of media trials in ongoing criminal investigations has been coming up often in the Courts. In the case of **Siddharth Vasisth@Manu Sharma vs State NCT of Delhi** judgment in **Criminal Appeal 179** of 2007 dated **19.04.2010**, the Supreme Court observed that

- ◆ The freedom of speech protected under **Article 19 (1) (a)** of the Constitution must be **carefully and cautiously used** to avoid interference in the administration of justice and lead to undesirable results in the matters sub-judice before the Courts.

The Bombay High Court, while hearing a batch of PILs to ban or restrict **media trials**, recently acknowledged that the self-regulatory bodies set by Broadcasters did exist. It strongly felt that it was for the Government to act under the **Cable Act** for violations of the **Broadcasting and Programming Codes**. In the **Nilesh Navalakha** and related judgments, the Bombay High Court, in its judgment **No PILST. 92252/2020** dated **18.01.2021** stated,

- ◆ “We do not approve such abdication of substantive power (by the Ministry of Information and Broadcasting) conferred by the CTVN Act and the CTVN Rules by such authorities in favour of a voluntary organisation (private body), which is formed by the channels themselves, namely, the NBA and which has constituted the ‘NBSA’.
- ◆ In view of our conclusion that matters which are **pending investigation on a criminal complaint** clearly fall within the restriction as contained in the **Programme Code**, contemplated under **Section 5** of the **CTVN Act** and **Rule 6** of the **CTVN Rules**, it would be a **mandatory obligation** of such authorities to **immediately act upon the complaints received against the T.V. channels which are alleged to be violating the Programme Code or any other provisions of the CTVN Act and the CTVN Rules and take the necessary action as provided for thereunder.**

Notwithstanding this strong judgment of the Bombay High Court, the Government has amended the **Cable Rules 1994** and given **statutory status** to Broadcaster self-regulatory bodies. By doing so, the future path the Government will take is now clear. **All forms of media (barring newspapers Government by Press Council guidelines) will now have a triple tier self-regulatory code with robust government oversight.** The first will be by the Broadcaster itself; the second tier will be Broadcaster Self-Regulatory bodies like IBF/BCCC; NBA/NBSA; NBF/

कई आपराधिक जांच में मीडिया ट्रॉयल का मुद्दा अक्सर अदालत में आता रहता है। **सिद्धार्थ वशिष्ठ@मनु शर्मा बनाम राज्य एन.सी.टी दिल्ली के आपराधिक अपील 179 दिनांक 19.04.2010** के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि

- ◆ **संविधान के अनुच्छेद 19 (1)(ए)** के तहत संरक्षित भाषण की स्वतंत्रता का उपयोग न्याय के प्रशासन में हस्तक्षेप से बचने के लिए **सावधानीपूर्वक और सावधानी** से किया जाना चाहिए और न्यायालयों के समक्ष मामलों में अवांछनीय परिणाम हो सकते हैं।

बॉम्बे हाईकोर्ट ने **मीडिया ट्रॉयल** पर प्रतिबंध लगाने या प्रतिबंधित करने के लिए जनहित याचिकाओं के एक बैच की सुनवाई करते हुए हाल ही में स्वीकार किया कि ब्रॉडकास्टर्स द्वारा निर्धारित स्व-नियामक निकाय मौजूद थे। यह दृढ़ता से महसूस किया गया कि **प्रसारण और कार्यक्रम कोड के उल्लंघन** के लिए **केबल अधिनियम** के तहत कार्य करना सरकार के लिए था। **नीलेश नवलखा** और संबंधित निर्णयों में, बॉम्बे हाई कोर्ट ने अपने फैसले में दिनांक **18.01.2021** ने **जनहित याचिका संख्या 92252/2020** में फैसला सुनाया कि :

- ◆ हम एक **स्वैच्छिक संगठन** (निजी निकाय) के पक्ष में ऐसे प्राधिकरणों द्वारा **सीटीवीएन अधिनियम और सीटीवीएन नियमों** द्वारा प्रदान की गयी **मौलिक शक्ति** (सूचना व प्रसारण मंत्रालय द्वारा) के इस तरह के परित्याग को मंजूरी नहीं देते हैं, जो स्वयं चैनलों द्वारा बनायी गयी है, अर्थात् एनबीए और जिसने **एनबीएसए** का गठन किया है।
- ◆ हमारे इस निष्कर्ष को ध्यान में रखते हुए कि आपराधिक शिकायत पर जांच लंबित मामले स्पष्ट रूप से **सीटीवीएन अधिनियम की धारा 5 और सीटीवीएन नियमों के नियम 6** के तहत विचारित कार्यक्रम संहिता में निहित प्रतिबंध के अंतर्गत आते हैं, ऐसे अधिकारियों का यह अनिवार्य दायित्व होगा कि वे टीवी चैनलों के खिलाफ प्राप्त शिकायतों पर तुरंत कार्रवाई करें, जिन पर कथित तौर पर **कार्यक्रम संहिता या सीटीवीएन अधिनियम और सीटीवीएन नियमों के किसी अन्य प्रावधान का उल्लंघन करने का आरोप है और इसके तहत प्रदान की गयी आवश्यक कार्रवाई करें।**

बॉम्बे हाई कोर्ट के इस कड़े फैसले के बावजूद, सरकार ने **केबल नियम 1994** में संशोधन किया है और ब्रॉडकास्टर सेल्फ रेगुलेटरी बॉडीज को **वैधानिक दर्जा** दिया है। ऐसा करने से सरकार का भविष्य का रास्ता साफ हो गया है। **सभी प्रकार के मीडिया (प्रेस काउंसिल के दिशा-निर्देशों द्वारा समाचार पत्रों को छोड़कर)** में अब मजबूत सरकारी निगरानी के साथ **ट्रिपल टियर सेल्फ रेगुलेटरी कोड होगा**। पहला प्रसारक द्वारा होगा, दूसरा स्तर प्रसारक स्व-नियामक निकाय होगा जैसे आईबीएफ /वीसीसीसी, एनबीए/एनबीएसए,

PNBSO, and the third will be an Interministry Committee which will be the top tier.

Government oversight on Broadcast Content has been tightened by giving a lot of power to the **Inter-Departmental Committee** under the newly amended **Rules**. These include:

- ◆ The Committee shall meet periodically and hear complaints regarding violation or contravention of the **Programme Code** and the **Advertising Code** that may:
 - (i) arise out of appeal against the decisions taken at the **Level I** or **Level II**, as the case may be, or where no such decision is taken within the specified time; or
 - (ii) **be referred to it by the Central Government.**
- ◆ The **Inter-Departmental Committee** shall examine complaints or grievances received by it and make any of the following recommendations to the Central Government, namely:
 - (i) **advising, warning, censuring, admonishing, or reprimanding** such Broadcaster; or
 - (ii) requiring an **apology** of such Broadcaster; or
 - (iii) requiring such Broadcaster to include a **warning card** or a **disclaimer**; or
 - (iv) requiring such Broadcaster to **delete or modify the content** or take the channel or a programme **off-air** for a specified time period where it is satisfied that such action is warranted, for reasons to be recorded in writing.
- ◆ After considering the Committee's recommendations, the Central Government may issue appropriate orders and directions for compliance by the Broadcaster.
- ◆ **Suppose the Central Government is satisfied that the programme of any channel is not in conformity with the Programme Code or that the advertisement of any channel is not in conformity with the Advertising Code. In that case, it may, after giving an opportunity of hearing to the cable operator, and by an order in writing, prohibit the transmission or re-transmission of any such channel or programme in accordance with the provisions of Section 20 of the Act.**

At the same time, the Government has entrusted the **self-regulatory bodies** of the Broadcasters with **statutory recognition**. The primary purpose is to carry out the mandate of the Supreme Court in the **Common Cause** judgment of **12.01.2017** in **W.P. (Civil) 387 of 2000**, wherein the Supreme

एनबीएफ/पीएनबीएसओ और तीसरी एक अंतर-मंत्रालयी समिति होगी जो शीर्षस्तरीय होगी।

नये संशोधित **नियमों** के तहत **अंतर-विभागीय समिति** को बहुत अधिक शक्ति देकर प्रसारण सामग्री पर सरकार की निगरानी कड़ी कर दी गयी है। इसमें शामिल है:

- ◆ समिति समय समय पर बैठक करेगी और **कार्यक्रम संहिता और विज्ञापन संहिता** के उल्लंघन या उल्लंघन के संबंध में शिकायतों की सुनवाई करेगी जो
 - (i) **स्तर 1 या स्तर 2** पर लिये गये निर्णयों के खिलाफ अपील से उत्पन्न हो सकती है जैसा भी मामला हो, या जहां निर्दिष्ट समय के भीतर ऐसा कोई निर्णय नहीं लिया जाता है, या
 - (ii) **इसे केंद्र सरकार द्वारा संदर्भित किया जाये।**
- ◆ **अंतर विभागीय समिति** इसके द्वारा प्राप्त शिकायतों या शिकायतों की जांच करेगी और केंद्र सरकार को निम्नलिखित में से कोई भी सिफारिश करेगी, अर्थात्
 - (i) ऐसे प्रसारक को **सलाह देना, चेतावनी देना, निंदा करना, दंडित करना या फटकार** लगाना या
 - (ii) ऐसे प्रसारक से **माफी** की अपेक्षा करना या
 - (iii) ऐसे प्रसारकों से **चेतवनी कार्ड या अस्वीकरण** शामिल करने की अपेक्षा करना, या
 - (iv) ऐसे प्रसारकों से **सामग्री को हटाने या संशोधित करने** या चैनल या किसी कार्यक्रम को एक निर्दिष्ट समय अवधि के लिए **ऑफ एयर** करने की आवश्यकता होती है, जहां यह संतुष्ट है कि लिखित रूप में दर्ज किये जाने वाले कारणों के लिए ऐसी कार्रवाई जरूरी है।
- ◆ समिति की सिफारिशों पर विचार करने के बाद केंद्र सरकार प्रसारक द्वारा अनुपालन के लिए उचित आदेश और निर्देश जारी कर सकती है।
- ◆ **मान लीजिए कि केंद्र सरकार इस बात से संतुष्ट है कि किसी चैनल या कार्यक्रम, प्रोग्राम कोड के अनुरूप नहीं है या किसी चैनल का विज्ञापन, विज्ञापन कोड के अनुरूप नहीं है। उस मामले में यह केबल ऑपरेटर को सुनवाई का अवसर देने के बाद और लिखित में एक आदेश द्वारा अधिनियम की धारा 20 के प्रावधानों के अनुसार ऐसे किसी भी चैनल या कार्यक्रम के प्रसारण या पुनः प्रसारण को प्रतिबंधित कर सकता है।**

साथ ही सरकार ने प्रसारकों के **स्व नियामक निकायों** को **वैधानिक मान्यता** के साथ सौंपा है। **प्राथमिक उद्देश्य 2000 के डब्लूपी (सिविल) 387 में 12.01.2017** के सामान्य कारण निर्णय में सर्वोच्च न्यायालय के जनादेश को पूरा करना है जिसमें सुप्रीम

Court had acknowledged that there is an existing mechanism for redressal of grievances of viewers. Still, it is not known to the general public.

The operation of the current **self-regulatory code** also came in for examination last year in the Delhi High Court in the case of alleged media trial and “vilification” of a Bollywood actress **Rakul Preet Singh** in the Delhi High Court in **Civil Writ Petition 6568/2020**. She alleged that her name was being dragged into the investigation on the death of a well-known actor Mr Sushant Singh Rajput.

On **17.09.2020**, the Delhi High Court asked the electronic media to exercise restraint in making allegations against her and directed that her petition be treated as a complaint and action taken by NBF/NBSA. This did happen, and on **10.12.2020**, the NBSA issued a series of restraint orders to the leading news Broadcasters. Here was a case of the “**media victim**” appealing for protection from vilification from the High Court. **The NBSA did Act but only on being so ordered by the High Court.** Time will tell whether the enormous faith reposed in the Broadcasters will be sufficient, or Government will have to act as directed by the Bombay High Court in the **Nilesh Navalakha** judgment.

Curiously enough, the Ministry of Information and Broadcasting had circulated the amendments to the **Cable Act 1995 in January 2020** to tighten many provisions and ensure statutory legislative responsibility by a series of amendments, especially to **Sections 5, 6 and 20** of the **Cable Act**. **These amendments are apparently currently in cold storage.**

COMMENT:

It may now be safely stated that there is no intention at present (after 26 years) to implement the CAB Judgment of 1995, asking for an Autonomous Broadcast Regulatory Authority setting to govern airwaves as per the CAB Judgment of 1995.

The current manner of regulating Broadcasters through the Cable Act is a major legislative failure to effectively monitor the vibrant broadcast media industry. There are approximately 902 Broadcasters with valid downlinking permission. The size of the T.V. homes is variously estimated between 190-220 Million. The estimated T.V. viewers number between 850-900 million viewers.

Such a vibrant T.V. ecosystem does not have a modern Broadcast Regulatory Act, and that too in an era where OTT is making fast strides in the past 2

कोर्ट ने स्वीकार किया था कि दर्शकों की शिकायतों के निवारण के लिए एक मौजूदा तंत्र है। फिर भी यह आम जनता को पता नहीं है।

वर्तमान स्व नियामक संहिता का संचालन पिछले साल दिल्ली उच्च न्यायालय में कथित मीडिया परीक्षण और दिल्ली उच्च न्यायालय में एक अभिनेत्री **रकुल प्रीत सिंह** के ‘अपमान’ के मामले में **सिविल रिट याचिका 6568/2020** के माध्यम से प्रश्न चिन्ह लगाया गया था। उसने आरोप लगाया कि एक प्रसिद्ध अभिनेता श्री सुशांत सिंह राजपूत की मौत पर जांच में उसका नाम घसीटा जा रहा है।

17.09.2020 को दिल्ली उच्च न्यायालय ने इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से उसके खिलाफ आरोप लगाने में संयम बरतने को कहा और निर्देश दिया कि उसकी याचिका को शिकायत के रूप में माना जाये और एनबीएसए/एनबीएसए द्वारा कार्रवाई की जाए। ऐसा हुआ और **10.12.2020** को एनबीएसए ने प्रमुख समाचार प्रसारकों को संयम बरतने के आदेश की एक शृंखला जारी की। यहाँ ‘**मीडिया पीड़ित**’ का एक मामला था जिसमें उच्च न्यायालय से बदनामी से सुरक्षा की अपील की गयी थी। **एनबीएसए ने एक्ट तो किया लेकिन हाई कोर्ट के आदेश पर ही।** समय बतायेगा कि प्रसारकों में व्यक्त भारी विश्वास पर्याप्त होगा या सरकार को **नीलेश नवलखा** फैसले में बॉम्बे हाई कोर्ट के निर्देश अनुसार काम करना होगा।

दिलचस्प बात यह है कि सूचना व प्रसारण मंत्रालय ने **जनवरी 2020 में केबल अधिनियम 1995** में संशोधनों को परिचालित किया था ताकि कई प्रावधानों को कड़ा किया जा सके और संशोधनों की एक शृंखला द्वारा वैधानिक विधायी जिम्मेवारी सुनिश्चित की जा सके, विशेष रूप से **केबल अधिनियम की धारा 5, 6 और 20** के लिए। **ये संशोधन जाहिर तौर पर फिलहाल कोल्ड स्टोरेज में है।**

टिप्पणी

अब यह सुरक्षित रूप से कहा जा सकता है कि 1995 के सीएबी निर्णय को लागू करने के लिए वर्तमान में (26 वर्ष के बाद) कोई इरादा नहीं है, 1995 के सीएबी निर्णय के अनुसार ऐयरवेस को नियंत्रित करने के लिए स्वायत्त प्रसारण नियामक प्राधिकरण की स्थापना की मांग करना।

केबल अधिनियम के माध्यम से प्रसारकों को विनियमित करने का वर्तमान तरीका लाइव प्रसारण मीडिया उद्योग की प्रभावी निगरानी में एक प्रमुख विधायी विफलता है। लगभग 902 ब्रॉडकास्टर्स वैध डाउनलिकिंग अनुमति के साथ हैं। टीवी घरों के आकार का अनुमान 190-220 मिलियन के बीच है। अनुमानित टीवी दर्शकों की संख्या 850-900 मिलियन दर्शकों के बीच है।

ऐसे जीवंत टीवी इकोसिस्टम में आधुनिक ब्रॉडकास्ट रेगुलेटरी एक्ट नहीं है और वह भी ऐसे युग में जहां ओटीटी पिछले 2 वर्षों में तेजी से प्रगति कर रहा है और

years and today is estimated to have anywhere between 50-75 million subscribers, with Disney Hotstar benefiting from IPL rights which is now the largest OTT operator.

No doubt, new social and digital media rules have been notified in February 2021. Now, the Cable Rules have been amended in June 2021.

But the Cable Act is woefully outdated, and Government is planning to amend the Information Technology Act. Had the Convergence Commission of India Act been passed in 2001, both these and other acts like the 1885 Telegraph Act would have subsumed into the new mega Act. Efforts to revive this mysteriously fell through a couple of years back.

This columnist has for the past 20 years advocated the need for an Autonomous Electronic Media Regulator. Still, it is quite clear that the felt need for facilitative light-touch Regulation will remain a mirage in the near future.

2. TRAI AMENDMENTS TO INTERCONNECTION REGULATIONS 2017 - STREAMLINING CAS AND SMS SYSTEMS

The Telecom Regulatory Authority of India (TRAI) amended the Telecommunication (Broadcasting and Cable) Services Interconnection (Addressable Systems) (Third Amendment) Regulations, 2021, on June 11, 2021. The Amendment makes the following changes in Telecommunication (Broadcasting and Cable) Services Interconnection (Addressable Systems) Regulations, 2017 :

- ◆ **Regulation 4A** is inserted. This provides for compliance to requirements of Addressable Systems by Distributors of Television channels—
 - ❖ Every Distributor of a television channel shall deploy a **Conditional Access System (CAS)** and **Subscriber Management System (SMS)**, which (shall) conform to the requirements as specified in **Schedule IX**.
 - ❖ If a Distributor fails to obtain the certification of the **Conditional Access System and/or Subscriber Management System** deployed in its network within the stipulated timelines, as specified by the Authority, it shall be liable to pay, by way of **financial disincentive**, an amount of **Rupees one thousand per day** for default up to **thirty days** beyond the due date and an additional

आज अनुमान है कि इसके 50-75 मिलियन ग्राहक होंगे, जिसमें कि डिज्नी हॉटस्टार को आईपीएल अधिकारों से लाभ हुआ है जो अब सबसे बड़ा ओटीटी ऑपरेटर है।

निःसंदेह फरवरी 2021 में नये सोशल और डिजिटल मीडिया नियमों को अधिसूचित किया गया है। अब केबल नियमों को जून 2021 में संशोधित किया गया है। लेकिन केबल अधिनियम बहुत पुराना है और सरकार सूचना तकनीकी अधिनियम में संशोधन करने की योजना बना रही है। यदि भारत का कर्नलिंग्स आयोग अधिनियम 2001 में पारित किया गया होता तो ये दोनों और 1885 टेलीग्राफी अधिनियम जैसे अन्य अधिनियम नये मेगा अधिनियम में शामिल हो गये होते। रहस्य तरीके से इसे पुनर्जीवित करने के पयास कुछ साल पहले विफल हो गये थे।

इस स्तंभकार ने पिछले 20 वर्षों में एक स्वायत्त इलेक्ट्रॉनिक मीडिया नियामक की आवश्यकता की वकालत की है। फिर भी यह बिल्कुल स्पष्ट है कि सुविधाजनक लाइट टच रेगुलेशन की महसूस की गयी आवश्यकता निकट भविष्य में एक मृगतृष्णा बनी रहेगी।

2. ट्राई इंटरकनेक्शन विनियम 2017 में संशोधन - सीएएस और एसएमएस सिस्टम को सुव्यवस्थित करना

भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण (ट्राई) ने 11 जून 2021 को दूरसंचार (प्रसारण और केबल) सेवा इंटरकनेक्शन (एड्रेसेबल सिस्टम) (तीसरा संशोधन) विनियम, 2021 में संशोधन किया। संशोधन दूरसंचार (प्रसारण और केबल) सेवा इंटरकनेक्शन (एड्रेसेबल सिस्टम) विनियम 2017 में निम्नलिखित परिवर्तन करता है:

- ◆ **विनियम 4ए** डाला गया है। यह टेलीविजन चैनलों के वितरकों द्वारा एड्रेसेबल सिस्टम की आवश्यकताओं के अनुपालन के लिए प्रदान करता है—
 - ❖ टेलीविजन चैनल का प्रत्येक वितरक एक **कंडीशनल एक्सेस सिस्टम (सीएएस)** और **सब्सक्राइबर मैनेजमेंट सिस्टम (एसएमएस)** तैनात करेगा, जो **अनुसूची 9** में निर्दिष्ट आवश्यकताओं के अनुरूप होगा।
 - ❖ यदि कोई वितरक प्राधिकरण द्वारा निर्दिष्ट निर्धारित समय सीमा के भीतर अपने नेटवर्क में तैनात **कंडीशनल एक्सेस सिस्टम और/या सब्सक्राइबर मैनेजमेंट सिस्टम** का प्रमाणन प्राप्त करने में विफल रहता है तो वह **वित्तीय निरुत्साह** के माध्यम से एक राशि का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होगा। देय तिथि से तीस दिनों तक डिफॉल्ट के

amount of **Rupees two thousand per day** in case the default continues beyond **thirty days** from the due date

- ◆ A new **Schedule IX** has been inserted, providing **Conditional Access System (CAS)** and **Subscriber Management System (SMS)**.

Explanatory Notes and Rationale for Amendment

- ◆ The Regulatory framework provides for **non-discrimination and mandatory sharing of signals**. These provisions have helped many new small multi-system operators (MSOs) install networks and start their services. As per the extant regulations, if the addressable system does not meet the requirements specified in **Schedule III**, the Broadcaster is permitted to **disconnect signals** of television channels, as per **proviso to sub-Regulation (2) Regulation 15**, after due notice. **Para 37**.
- ◆ Sometimes, small MSOs suffer such eventuality due to the deployment of sub-standard **CAS and SMS**. This arises from the fact that there are no prescribed, tested, and certified solutions. Small MSOs have limited awareness of necessary technical parameters. Many times, cost remains the primary deciding factor for buying certain products/solutions. **Para 37**.
- ◆ Hence, there is a need to draft and deploy adequate standards for **content security for CAS**. Still, effective compliance with the **statutory framework** is also essential to build trust and confidence among all the stakeholders. This entails the entrustment of **testing and certification work** to a reputed and trusted agency. **Para 38**.
- ◆ Trust and confidence among all stakeholders should be the cornerstone of any statutory framework for its effective compliance. Therefore, the testing and certification agency must not only be fair, reasonable, and non-discriminatory; it must also generate such confidence and trust among all the stakeholders. **Para 46**.
- ◆ The Authority shall designate Testing and Certification Agency(ies) that shall oversee the testing and certification of different **CAS and SMS**. The Authority, in consultation with the designated testing and certification agency(ies) shall issue a Test Schedule 'with a detailed testing procedure for each requirement, as may be required. Looking to the



लिए प्रतिदिन **एक हजार रुपये** और देय तिथि से **तीस दिनों** से अधिक डिफॉल्ट जारी रहने पर प्रति दिन **दो हजार रुपये** की अतिरिक्त राशि देनी होगी।

- ◆ **कंडिशनल एक्सेस सिस्टम (सीएस)** और **सब्सक्राइबर मैनेजमेंट सिस्टम (एसएमएस)** प्रदान करते हुए एक नयी **अनुसूची 9** शामिल की गयी है।

व्याख्यात्मक नोट्स और संशोधन के लिए तर्क

- ◆ नियामक ढांचा गैर-भेदभावपूर्ण और सिगनलों को अनिवार्य रूप से साझा करने का प्रावधान करता है। इन प्रावधानों ने कई नये छोटे मल्टी सिस्टम ऑपरेटर्स (एमएसओ) को नेटवर्क स्थापित करने और अपनी सेवायें शुरू करने में मदद की है। मौजूदा विनियमों के अनुसार यदि एड्रेसेबल सिस्टम **अनुसूची 3** में निर्दिष्ट आवश्यकताओं को पूरा नहीं करता है तो प्रसारकों को उचित नोटिस के बाद **उप-विनियम (2) विनियम 15** के प्रावधान के अनुसार टेलीविजन चैनलों के सिगनल को डिस्कनेक्ट करने की अनुमति है। **पैरा 37**।
* कभी-कभी छोटे एमएसओ को घटिया **सीएस और एसएमएस** की तैनाती के कारण ऐसी स्थिति का सामना करना पड़ता है। यह इस तथ्य से पैदा होता है कि कोई निर्धारित, परीक्षण और प्रमाणित समाधान नहीं है। छोटे एमएसओ के पास आवश्यक तकनीकी मानकों के बारे में सीमित जागरूकता है। कई बार कुछ उत्पादों/समाधानों को खरीदने के लिए लागत प्राथमिकता निर्णायक कारक बनी रहती है **पैरा 37**।
- ◆ इसलिए **सीएस के लिए सामग्री सुरक्षा** के लिए पर्याप्त मानकों का मसौदा तैयार करने और उन्हें लागू करने की आवश्यकता है। फिर भी सभी हितधारकों के बीच विश्वास और विश्वास बनाने के लिए **वैधानिक ढांचे** का प्रभावी अनुपालन भी आवश्यक है। इसके लिए एक प्रतिष्ठित और विश्वनीय एजेंसी को **परीक्षण और प्रमाणन कार्य** सौंपना आवश्यक है। **पैरा 38**।
- ◆ सभी हितधारकों के बीच विश्वास और तालमेल इसके प्रभावी अनुपालन के लिए किसी भी वैधानिक ढांचे की आधारशिला होनी चाहिए। इसलिए परीक्षण और प्रमाणन एजेंसी को न केवल निष्पक्ष, उचित व गैर-भेदभावपूर्ण होना चाहिए, इसे सभी हितधारकों के बीच ऐसा विश्वास और विश्वास भी पैदा करना चाहिए। **पैरा 46**।
- ◆ प्राधिकरण परीक्षण और प्रमाणन एजेंसियों को नामित करेगा जो विभिन्न सीएस और एसएमएस के परीक्षण व प्रमाणन की निगरानी करेगी। प्राधिकरण नामित परीक्षण और प्रमाणन एजेंसियों के परामर्श से प्रत्येक आवश्यकता के लिए एक विस्तृत परीक्षण प्रक्रिया के साथ एक परीक्षण अनुसूची जारी करेगा, जैसाकि आवश्यक हो सकता है। **एसएमएस और सीएस** के समकालिक कामकाज के महत्व को देखते हुए जैसाकि पूर्ववर्ती अनुभागों में जोर दिया गया

importance of synchronised functioning of SMS and CAS as emphasised in preceding Sections, such Test Schedule 'shall also check that the CAS under testing supports integrating with any other SMS and vice versa. **Para 47.**

- ◆ The Authority envisages that there will be some time gap before the ecosystem becomes fully compliant with the testing and certification framework. Accordingly, the Authority will prescribe the timeline within which such systems shall get tested and certified to meet the requirements as specified in **Schedule IX**. Accordingly, the Authority shall notify relevant amendments in **Schedule III** and the **Audit Manual**, as required, along with the testing and certification regime dates. **Para 48.**
- ◆ **A robustly designed and tightly coupled CAS and SMS are expected to check piracy and result in factual reporting of subscriptions, which will lead to improved revenue realisation by all concerned stakeholders. Furthermore, the framework promises many nonpecuniary benefits, such as being conducive to doing business and adopting better technology, resulting in better service and end-user experience. A more secure network can also attract more high-quality content, thereby providing consumers with more choice.** **Para 55.**

COMMENT:

This step comes a decade after Digital Addressable Systems (DAS) were introduced by amendments to the Cable Television Network Regulation Act 1995 in 2011 and the Cable Television Network Rules 1994 in 2012. This is a welcome development and will pose no difficulty to the large Multi-System Operators (MSO) or the Regional MSOs.

The objective of the Digital Addressable Systems Regime was to bring in mandatory choices to viewers to select channels of their choice and pay for what they wished to see and hopefully reduce a large number of disconnection notices and litigation suits in the Telecom Disputes Settlement Appellate Tribunal.

There are 1724 licensed Multi-System Operators on 12.04.2021 (as per the latest update on the MIB website) in the country. The direct impact of these amendments will fall on less than 10-15 per cent described by TRAI as "small MSOs".

है, ऐसी परीक्षण अनुसूची यह भी जांच करेगी कि परीक्षण के तहत **सीएएस** किसी अन्य **एसएमएस** के साथ एकीकरण का समर्थन करता है और इसके विपरित। **पैरा 47।**

- ◆ प्राधिकरण की परिकल्पना है कि परीक्षण और प्रमाणन ढांचे के साथ पारिस्थितिकी तंत्र पूरी तरह से अनुपालन करने से पहले कुछ समय का अंतराल होगा। तदनुसार प्राधिकरण समय सीमा निर्धारित करेगा जिसके भीतर **अनुसूची 9** में निर्दिष्ट आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए ऐसी प्रणालियों का परीक्षण और प्रमाणन किया जायेगा। तदनुसार प्राधिकरण परीक्षण और प्रमाणन व्यवस्था की तारीखों के साथ **अनुसूची 3** और **लेखा परीक्षा** नियमावली में प्रासंगिक संशोधनों को जैसा आवश्यक होगा, अधिमूचित करेगा। **पैरा 48।**
- ◆ **मजबूत रूप से डिजाइन किये गये और कसकर युग्मित सीएएस और एसएमएस से पायरेसी की जांच होने की उम्मीद है और इसके परिणामस्वरूप सब्सक्रिप्शन की तथ्यात्मक रिपोर्टिंग होनी चाहिए, जिससे सभी संबंधित हितधारकों को बेहतर राजस्व प्राप्त होगा। इसके अलावा ढांचा कई गैर-आर्थिक लाभों का वादा करता है, जैसे कि व्यवसाय करने के लिए अनुकूल होना और बेहतर तकनीकी को अपनाना, जिसके परिणामस्वरूप बेहतर सेवा और अंतिम उपयोगकर्ता अनुभव प्राप्त होगा। एक अधिक सुरक्षित नेटवर्क अधिक उच्च गुणवत्ता वाली सामग्री को भी आकर्षित कर सकता है जिससे उपयोगकर्ताओं को अधिक विकल्प मिल सकता है।** **पैरा 55।**

टिप्पणी:

यह कदम डिजिटल एड्रेसेबल सिस्टम (डीएस) को 2011 में केबल टेलीविजन नेटवर्क विनियमन अधिनियम 1995 और 2012 में केबल टेलीविजन नेटवर्क नियम 1994 में संशोधन द्वारा पेश किये जाने के एक दशक के बाद आया है। यह स्वागत योग्य विकास है और इससे बड़े मल्टी सिस्टम ऑपरेटर्स और क्षेत्रीय एमएसओ को कोई कठिनाई नहीं होगी।

डिजिटल एड्रेसेबल सिस्टम व्यवस्था का उद्देश्य दर्शकों के लिए अपनी पसंद के चैनलों के चयन के लिए अनिवार्य विकल्प लाना और जो वे देखना चाहते हैं उसके लिए भुगतान करना था और उम्मीद है कि दूरसंचार विवाद निपटान अपीलिय न्यायाधिकरण में बड़ी संख्या में डिस्कनेक्शन नोटिस और मुकदमेबाजी कम होगी।

देश में 12.04.2021 को (एमआईबी वेबसाइट पर नवीनतम अपडेट के अनुसार) 1724 लाइसेंस प्राप्त मल्टी सिस्टम ऑपरेटर हैं। इन संशोधनों का सीधा प्रभाव ट्राई द्वारा छोटे एमएसओ के रूप में वर्णित 10-15 प्रतिशत से कम पर पड़ेगा।

They will need to upgrade their networks to acceptable prescribed CAS/SMS norms or form Cable Cooperatives (a mirage at present) or take backend infrastructure services from large MSOs/HIT'S operators willing to share their passive infrastructure current infrastructure sharing norms.

3. HISTORIC INFRASTRUCTURE SHARING PACT BETWEEN NXT DIGITAL AND SITICABLE

Hinduja Group's NXTDigital Headend in The Sky (HITS) is India first fully functional digital initiative of a Hybrid Satellite-based and Fibre based Project, "NXTDIGITAL". It has already surpassed over 5.5 million digital cable subscribers in India in over **1500 cities**. It is available in all 28 States and 9 Union Territories of India, including the Andaman & Nicobar Islands and Lakshadweep. At present, it supplies 660 satellite channels. It can provide 24 local channels with unique technology to encrypt them as per the requirements of the Cable Act.

The Government permission for HITS to NXTDIGITAL in 2015 permitted both **active services** through linked Cable Operator networks and **passive infrastructure services**. For this purpose, a state of art satellite earth station has been set up in Noida near Delhi.

The original **HITS Regulations of 26.11.2009** were amended on 06.11.2021. The **Amendment** now allows explicitly for **voluntary sharing** of passive infrastructure between the HITS Operator and the MSOs. This was done by introducing two new regulations being **Rule 16**, providing for

- ◆ Wherever technically feasible, the HITS operator may share the platform infrastructure voluntarily, in flexible ways, for distribution of T.V. channels provided that the signals of the HITS platform are distributed to subscribers through Cable operator only and the encryption of signals, addressability and liabilities are not compromised.

Rule 17 states,

"The adherence and compliance to all the provisions of the rules and guidelines issued by MIB and NOCC and WPC, DoT for grant of licence to the HITS operator will be the responsibility of both the existing Operator and the new applicant proposing to share

उन्हें अपने नेटवर्क को स्वीकार्य निर्धारित सीएसएस/एसएमएस मापदंडों में अपग्रेड करना होगा या केबल सहकारी समितियां (वर्तमान में एक मृगतृष्णा) बनाना होगा या अपने निष्क्रिय बुनियादी ढांचे के मौजूदा बुनियादी ढांचे साझाकरण मानदंडों को साझा करने के इच्छुक बड़े एमएसओ/हिट्स के ऑपरेटरों से बैकएंड इन्फ्रास्ट्रक्चर सेवायें लेनी होंगी।

3. एनएक्सटी डिजिटल और सिटी केबल के बीच ऐतिहासिक बुनियादी ढांचा साझा करने का समझौता

हिंदूजा समूह का एनएक्सटी डिजिटल हेडएंड इन द स्काई (हिट्स) एक हाईब्रिड सैटेलाइट आधारित और फाइबर आधारित परियोजना 'एनएक्सटी डिजिटल' की भारत की पहली पूरी तरह कार्यात्मक डिजिटल पहल है। यह पहले ही **1500** से अधिक शहरों में भारत में **5.5** मिलियन से अधिक डिजिटल केबल ग्राहकों को पार कर चुका है। यह अंडमान और निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप सहित भारत के सभी **28** राज्यों और **9** केंद्र शासित प्रदेशों में उपलब्ध है। वर्तमान में यह **660** सैटेलाइट चैनलों को प्रसारित करता है। यह **24** स्थानीय चैनलों को केवल अधिनियम की आवश्यकताओं के अनुसार उन्हें एन्क्रिप्ट करने के लिए अनूठी तकनीकी प्रदान कर सकता है।

2015 में एनएक्सटी डिजिटल को हिट्स के लिए सरकारी अनुमति ने लिंकड केबल ऑपरेटर नेटवर्क और **निष्क्रिय अवसंरचना सेवाओं** के माध्यम से **सक्रिय सेवाओं** दोनों को अनुमति दी। इस उद्देश्य के लिए दिल्ली के पास नोयडा में एक आधुनिक सैटेलाइट अर्थस्टेशन की स्थापना की गयी।

26.11.2019 के मूल **हिट्स विनियमों को 6.01.2021** को संशोधित किया गया था। **संशोधन** अब स्पष्ट रूप से हिट्स ऑपरेटर और एमएसओ के बीच निष्क्रिय बुनियादी ढांचे के **स्वैच्छिक साझाकरण** की अनुमति देता है। यह नियम **16** के रूप में दो नये नियमों के पेश करके किया गया था, जिसमें,

- ◆ जहां कहीं तकनीकी रूप से व्यवहार्य हो, हिट्स ऑपरेटर टीवी चैनलों के वितरण के लिए स्वेच्छा से, लचीले तरीके से प्लेटफार्म के बुनियादी ढांचे को साझा कर सकते हैं, बशर्ते कि हिट्स प्लेटफार्म के सिगनल केवल केबल ऑपरेटर के माध्यम से ग्राहकों को वितरित किये जाते हैं और सिगनल, एड्रेसेबिलिटी और देनदारियों के एन्क्रिप्शन से समझौता नहीं किया जाता है।

नियम 17 बताता है:

- ◆ हिट्स ऑपरेटरों को लाइसेंस प्रदान करने के लिए एमआईवी और एनओसीसी और डब्ल्यूपीसी, डॉट द्वारा जारी नियमों और दिशा निर्देशों के सभी प्रावधानों का पालन और अनुपालन मौजूदा ऑपरेटर और बुनियादी ढांचे को साझा करने का प्रस्ताव करने



the infrastructure, respectively to the extent as required / applicable individually.”

On 11.05.2021, An NXTDigital /Siticable joint press release stated:

- ◆ “SITI Networks Limited (an Essel Group Company) (MSO), and Hinduja Group’s Headend in the Sky (HITS) platform NXTDigital have announced a first-ever **infrastructure sharing agreement** in the MSO space in the country. The move, the first of its kind, will have two conventional competitors share infrastructure, heralding a new era of collaboration in the digital platforms space. With this move, both companies will synergise and leverage their strengths to provide the best services to customers.
- ◆ SITI will leverage the HITS infrastructure to deliver its signals to its Local Cable Operators (LCOs), thus providing its services to semi-urban and rural subscribers while expanding its footprint across the country through satellite. For this integration, **NXT Digital’s Platform as a Service (PaaS)** vertical worked with SITI Networks’ team to ensure testing and full compliance in using the already deployed technologies and systems of SITI, such as Subscriber Management, Conditional Access using the existing Set-Top Boxes to provide services with the HITS platform wherever required.
- ◆ According to NXTDigital, the potential market for such PaaS (Platform-as-a-Service) or infrastructure sharing services in India is estimated at over **60 million** cable T.V. subscribers, connected to around **1,000 MSOs** – largely independent or regional players, who often face such cost, connectivity, and quality challenges.



COMMENT

This is a significant development in the maturing of the Indian digital cable market in India. Infrastructure sharing will help competing companies to pare costs and focus more on joint technological development to bring many value-added services for Indian customers. As the NXTDigital HITS network is a unique hybrid mix of satellite services, it should be able to start quadruple-play services all over India. With the

वाले नये आवेदक और व्यक्तिगत रूप से लागू होने वाली आवश्यकताओं के अनुसार क्रमशः दोनों की जिम्मेवारी होगी।

11.05.2021 को एनएक्सटी डिजिटल/सिटी केबल ने एक संयुक्त प्रेस विज्ञप्ति में कहा कि

- ◆ **सिटी नेटवर्क्स लिमिटेड (एसेल ग्रुप की कंपनी)** (एमएसओ) और हिंदुजा ग्रुप के हेडएंड इन द स्काई (हिट्स) प्लेटफॉर्म **एनएक्सटी डिजिटल** ने देश में एमएसओ क्षेत्र में पहली बार **इंफ्रास्ट्रक्चर शेयरिंग समझौते** की घोषणा की है। यह अपनी तरह का पहला कदम है जिसमें दो पारंपरिक प्रतिस्पर्धी साझा बुनियादी ढांचे होंगे, जो डिजिटल प्लेटफॉर्म क्षेत्र में सहयोग के एक नये युग की शुरुआत करेंगे। इस कदम के साथ दोनों कंपनियों ग्राहकों को सर्वोत्तम सेवायें प्रदान करने के लिए तालमेल बिठावेंगे और अपनी ताकत का लाभ उठावेंगी।
- ◆ **सिटी** अपने स्थानीय केबल ऑपरेटरों (एलसीओ) को अपने सिगनल देने के लिए हिट्स बुनियादी ढांचे का लाभ उठावेगा, इस प्रकार सैटेलाइट के माध्यम से देशभर में अपने फुटप्रिंट का विस्तार करते हुए अर्ध-शहरी और ग्रामीण ग्राहकों को अपनी सेवायें प्रदान करेगा। इस एकीकरण के लिए **एनएक्सटी डिजिटल प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस (पीएएस)** वर्टिकल ने हिट्स नेटवर्क की टीम के साथ काम किया, ताकि हिट्स की पहले से तैनात तकनीकियों और सिस्टम, जैसे सब्सक्राइबर प्रबंधन, मौजूदा सेट टॉप का उपयोग करके हिट्स प्लेटफॉर्म के साथ सेवायें प्रदान करने के लिए कंडिशनल एक्सेस का उपयोग करने में परीक्षण और पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित किया जा सके।
- ◆ एनएक्सटी डिजिटल के अनुसार, भारत में इस तरह के पास (प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस) या इंफ्रास्ट्रक्चर शेयरिंग सेवाओं के लिए संभावित बाजार का अनुमान **60 मिलियन** से अधिक केबल टीवी ग्राहकों का है, जो लगभग **1000 एमएसओ** के साथ जुड़े हुए हैं—बड़े पैमाने पर क्षेत्रीय व स्वतंत्र खिलाड़ी हैं जिन्हें अक्सर लागत, कनेक्टिविटी और गुणवत्ता की चुनौतियों का सामना करना पड़ता है।

टिप्पणी

यह भारत में डिजिटल केबल बाजार के परिपक्व होने में एक महत्वपूर्ण विकास है। इंफ्रास्ट्रक्चर शेयरिंग से प्रतिस्पर्धी कंपनियों को लागत कम करने और भारतीय ग्राहकों के लिए कई मूल्य वर्धित सेवायें लाने के लिए संयुक्त तकनीकी विकास पर अधिक ध्यान केंद्रित करने में मदद मिलेगी। चूंकि एनएक्सटी डिजिटल हिट्स नेटवर्क सैटेलाइट सेवाओं का अनूठा हाईब्रिड मिश्रण है, इसलिए इसे पूरे भारत में चौगुनी सेवायें शुरू करने में सक्षम होना

increasing adoption of OTT services, the need for such joint business ventures makes immense sense in today's converged times.

There are many small MSOs who are unable to cope with the technical requirements of the Interconnection Regulations. The recent amendments bringing in financial disinvestment in case CAS and SMS Systems are not technically compliant should push the small MSOs to either upgrade or join the NXTDIGITAL PAAS platform.

4. AMENDMENTS TO CINEMATOGRAPH ACT - CONTROVERSIAL SUPER REVIEW PROPOSED

On 18.06.2021, the Ministry of Information and Broadcasting issued a Press Note asking for public reactions to certain vital amendments to the **Cinematograph Act, 1952**. It stated that the Ministry proposes introducing the **Cinematograph (Amendment) Bill, 2021**, which will make "sanctioning films for exhibition more effective, in tune with the changing times and curb the menace of piracy." The responses have been requested by **2.07.2021**.

The amendments have some new features:

A) New U/A Categories

The following provisions relating to certification of films under the 'unrestricted, public exhibition' category are proposed to be amended to further sub-divide the existing U.A. category into age-based categories, viz. **U/A 7+, U/A 13+ and U/A 16+**:

COMMENT:

This new classification brings age-gating as in social and digital media introduced in the February 25, 2021 Regulations and is therefore unexceptionable.

B) Validity of Film Certificate

Amendment of sub-Section (3) of Section 5 A regarding 'Validity of certificate' –

चाहिए। ओटीटी सेवाओं की बढ़ती स्वीकार्यता के साथ ऐसे संयुक्त व्यवसायिक उपक्रमों की आवश्यकता आज के कंजर्स समय में बहुत मायने रखती है।

कई छोटे एमएसओ हैं जो इंटरकनेक्शन विनियमों की तकनीकी आवश्यकताओं का सामना करने में असमर्थ हैं। सीएस व एसएमएस सिस्टम के तकनीकी रूप से अनुपालन नहीं होने की स्थिति में वित्तीय विनिवेश में हाल में संशोधनों से छोटे एमएसओ को या तो अपग्रेड करने या एनएक्सटी डिजिटल पास प्लेटफॉर्म में शामिल होने के लिए प्रेरित करना चाहिए।

4. सिनेमैटोग्राफ एक्ट में संशोधन -विवादास्पद सुपर रिव्यू प्रस्तावित

18.06.2021 को सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने एक प्रेस नोट जारी कर **सिनेमैटोग्राफ अधिनियम 1952** में कुछ महत्वपूर्ण संशोधनों के लिए जनता की प्रतिक्रिया मांगी। इसमें कहा गया है कि मंत्रालय **सिनेमैटोग्राफ (संशोधन) विधेयक 2021** पेश करने का प्रस्ताव करता है जो बदलते समय के अनुरूप प्रदर्शन के लिए फिल्मों को मंजूरी देने और पायरेसी के खतरे को कम करने के लिए अधिक प्रभावी बनायेगा। इस पर **2.07.2021** तक जवाब मांगा गया है।

संशोधन में कुछ नयी विशेषतायें हैं :

(ए) नयी यू/ए श्रेणियां

'अप्रतिबंधित, सार्वजनिक प्रदर्शन श्रेणी के तहत फिल्मों के प्रमाणीकरण से संबंधित निम्नलिखित प्रावधानों को मौजूदा यू.ए. को और उप-विभाजित करने के लिए संशोधित करने का प्रस्ताव है। आयु आधारित श्रेणियों में श्रेणी अर्थात **यू/ए 7 प्लस, यू/ए 13 प्लस और यू/ए 16 प्लस** है।

टिप्पणी

यह नया वर्गीकरण 25 फरवरी 2021 के विनियमों में पेश किये गये सामाजिक और डिजिटल मीडिया के अनुसार आयु निर्धारण लाता है और इसलिए यह अपवाद नहीं है।

बी) फिल्म प्रमाणन की वैधता

'प्रमाण पत्र की वैधता' के संबंध में धारा 5ए की उप-धारा (3) का संशोधन-



As per the provision of the present Act under **sub-Section 3 of Section 5 A**, the certificate issued by the Board is valid for **10 years**. Although this restriction on the validity of the certificate for only **10 years** has been removed through executive orders, the existing provision in the Act requires to be amended to remove the stipulation such that the certificate is valid in **perpetuity**.

COMMENT:

This is a procedural amendment as the 10-year restriction had already been removed in executive orders and is non-controversial.

C) Amendment of sub-Section (1) of Section 6 regarding 'Revisional powers of the Central Government':

In the existing Act under Section 6, the Central Government has been empowered to call for the **record of proceedings** in relation to certification of a film pending or has been decided by the Board and pass any order thereon. In other words, this means that the Central Government, if the situation so warranted, has the power to **reverse** the Board's decision.

However, the Hon'ble High Court of Karnataka in **KM Shankarappa Vs. Union of India** case stated that the Central Government cannot exercise revisional powers regarding films **already certified** by the Board. This has also been upheld by the Hon'ble Supreme Court vide its judgment dated **28/11/2000 in Civil Appeal 3106 of 1991**.

The Hon'ble Supreme Court has also opined that the Legislature may, in certain cases, overrule or nullify the judicial or executive decision by enacting **appropriate legislation**. In this regard, it is stated that sometimes complaints are received against a film that alludes to violation of **Section 5 B (1) of the Cinematograph Act, 1952, after a film is certified**.

Article 19(2) of the Constitution imposes **reasonable restrictions** upon the freedom of speech and expression in the interests of the sovereignty and integrity of India, the security of the State, friendly relations with foreign States, public order, decency, or morality or in relation to contempt of court, defamation, or incitement of any offence. Therefore, the following amendments are proposed in the Bill.

- i. **Removal of the provisions struck down by the Hon'ble Court in Sub-Section (1) of Section 6 in the Principal Act.**
- ii. **Adding a proviso to sub-Section (1) of Section 6**

धारा 5ए की उपधारा 3 के तहत वर्तमान अधिनियम के प्रावधान के अनुसार बोर्ड द्वारा जारी प्रमाण पत्र **10 वर्ष** के लिए वैध है। यद्यपि केवल **10 वर्षों** के लिए प्रमाण पत्र की वैधता पर यह प्रतिबंध कार्यकारी आदेशों के माध्यम से हटा दिया गया है, अधिनियम में मौजूदा प्रावधान को संशोधित करने की आवश्यकता है ताकि प्रमाण पत्र हमेशा के लिए वैध हो।

टिप्पणी:

यह एक प्रक्रियात्मक संशोधन है क्योंकि कार्यकारी आदेशों में 10 साल का प्रतिबंध पहले ही हटा दिया गया था और यह गैर-विवादास्पद है।

सी) केंद्र सरकार की पुनरीक्षण शक्तियों के संबंध में धारा 6 की उप-धारा (1) का संशोधन:

धारा 6 के तहत मौजूदा अधिनियम में, केंद्र सरकार को बोर्ड द्वारा लंबित या तय की गयी फिल्म के प्रमाणीकरण के संबंध में **कार्यवाही के रिकॉर्ड** के लिए कॉल करने और उस पर कोई आदेश पारित करने का अधिकार दिया गया है। दूसरे शब्दों में इसका अर्थ यह है कि केंद्र सरकार, यदि आवश्यक हो तो बोर्ड के निर्णय को **उलटने** की शक्ति रखती है।

हालांकि के **एम शंकराप्पा बनाम भारत सरकार** मामले में कर्नाटक के माननीय उच्च न्यायालय ने बताया कि केंद्र सरकार बोर्ड द्वारा पहले से प्रमाणित फिल्मों के संबंध में पुनरीक्षण शक्तियों का प्रयोग नहीं कर सकती है। इसे माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा **1991 के सिविल अपील 3106 में दिनांक 28/11/2000** के अपने निर्णय द्वारा भी सही ठहराया गया है।

माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने यह भी राय दी है कि विधायिका कुछ मामलों में उचित कानून बनाकर न्यायिक या कार्यकारी निर्णय को रद्द या रद्द कर सकती है। इस संबंध में यह कहा गया है कि कभी-कभी एक फिल्म के खिलाफ शिकायतें प्राप्त होती हैं जो कि **फिल्म प्रमाणित होने के बाद सिनेमैटोग्राफी अधिनियम 1952 की धारा 5बी (1)** के उल्लंघन का संकेत देती हैं।

संविधान का अनुच्छेद **19(2)** भारत की संप्रभुता और अखंडता, राज्य की सुरक्षा, विदेशी राज्यों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंधों, सार्वजनिक व्यवस्था, शालीनता या नैतिकता के हितों में भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर उचित प्रतिबंध लगाता है। अदालत की अवमानना, मानहानि या किसी अपराध के लिए उकसाने के संबंध में। इसलिए विल में निम्नलिखित संशोधन प्रस्तावित है।

1. **मूल अधिनियम की धारा 6 की उप-धारा (1) में माननीय न्यायालय द्वारा हटाये गये प्रतिबंधों को हटाना।**
2. **अधिनियम की धारा 5 बी (1) के उल्लंघन के कारण**

for granting revisionary powers to the Government on account of violation of Section 5 B (1) of the Act:

Since the provisions of **Section 5 B(1)** are derived from **Article 19(2)** of the Constitution and are **non-negotiable**, it is also proposed in the Draft Bill to add a **proviso** to **sub-Section (1)** of **Section 6** to the effect that on receipt of any references by the Central Government in respect of a film certified for public exhibition, on account of violation of **Section 5 B(1)** of the **Act**, the Central Government may if it considers it necessary so to do, direct the Chairman of the Board to **re-examine the film**.

COMMENT:

This is a controversial step intended to overcome the Supreme Court's judgment in KM Shankarappa Vs. Union of India in Civil Appeal 3106 of 1991 dated 28/11/2000. In this judgment, the Supreme Court upheld the Karnataka High Court order, which held that Government did not have the power of revision once a picture was certified. The Supreme Court had noted that in terms of the K.A. Abbas judgment (1970) 2 SCC 780, the Government had set up a Film Appellate Tribunal, and in that judgment, the Supreme Court had expressed satisfaction that

- ◆ *"We express our satisfaction that the Central Government will cease to perform curial functions through one of its secretaries in this sensitive field involving the fundamental right of speech and expression. Experts sitting as a Tribunal and deciding matters quasi-judicially inspire more confidence than a secretary. Therefore, it is better that the appeal should lie to a Court or Tribunal."*

In the Shankarappa judgment, the Supreme Court expressed surprise that having set up the Film Appellate Tribunal, the Government still wanted to retain revisionary powers. It stated:

- ◆ *Once a quasi-judicial body like the Appellate Tribunal, consisting of a retired Judge of a High Court or a person qualified to be a Judge of a High Court and other experts in the field, gives its decision that decision would be final and binding so far as the Executive and the Government is concerned. To permit the Executive to review and/or revise that decision would amount to interference with the*

सरकार को पुनरीक्षण शक्तियां प्रदान करने के लिए धारा 6 की उप-धारा (1) में परंतुक जोड़ना:

चूंकि धारा 5बी (1) के प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 19 (2) से लिए गये हैं और गैर परक्राम्य हैं, इसलिए मसौदा विधयेक में धारा 6 की उप-धारा (1) में एक परंतुक भी जोड़ने का प्रस्ताव है। अधिनियम की धारा 5 बी (1) के उल्लंघन के कारण सार्वजनिक प्रदर्शन के लिए प्रमाणित फिल्म के संबंध में केंद्र सरकार द्वारा कोई संदर्भ प्राप्त होने पर, केंद्र सरकार यदि ऐसा करना आवश्यक समझती है तो उसे निर्देश दे सकती है। बोर्ड के अध्यक्ष फिल्म की दोबारा जांच करेंगे।

टिप्पणी

यह एक विवादास्पद कदम है जिसका उद्देश्य केएम शंकराप्पा बनाम भारत संघ में 1991 के 28/11/2000 के सिविल अपील 3106 में सुप्रीम कोर्ट के फैसले को दूर करना है। इस फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने कर्नाटक उच्च न्यायालय के आदेश को बरकरार रखा, जिसमें कहा गया था कि एक फिल्म प्रमाणित होने के बाद सरकार के पास उसको संशोधन करने की शक्ति नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने नोट किया था कि के ए अब्बास निर्णय (1970) 2 एससीसी 780 के संदर्भ में सरकार ने एक फिल्म अपीलीय न्यायाधिकरण की स्थापना की थी, और उस निर्णय में सर्वोच्च न्यायालय ने संतोष व्यक्त किया था कि

- ◆ 'हम अपनी संतुष्टि व्यक्त करते हैं कि केंद्र सरकार भाषण और अभिव्यक्ति के मौलिक अधिकार से जुड़े इस संवेदनशील क्षेत्र में अपने सचिवों में से एक के माध्यम से जिज्ञासु कार्य करना बंद कर देगी। ट्रिब्यूनल के रूप में बैठे विशेषज्ञ और मामलों का निर्णय अर्ध-न्यायिक रूप से एक सचिव के मुकाबले अधिक आत्मविश्वास को प्रेरित करते हैं। इसलिए यह बेहतर होगा कि अपील किसी न्यायालय या ट्रिब्यूनल में होनी चाहिए।'

शंकराप्पा के फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने आश्चर्य व्यक्त किया था फिल्म अपीलीय न्यायाधिकरण की स्थापना के बाद भी सरकार पुनरीक्षण शक्तियों को बरकरार रखना चाहती है। इसमें कहा गया है

- ◆ एक बार अपीलीय न्यायाधिकरण जैसे अर्ध-न्यायिक निकाय, जिसमें उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश या उच्च न्यायालय के न्यायाधीश बनने के योग्य व्यक्ति और क्षेत्र के अन्य विशेषज्ञ शामिल होते हैं, अपना निर्णय देता है कि निर्णय अंतिम और बाध्यकारी होगा जहां तक कार्यपालिका और सरकार

exercise of judicial functions by a quasi-judicial Board.

- ◆ *It would amount to subjecting the decision of a quasi-judicial body to the scrutiny of the Executive. Under our Constitution, the position is reverse. The Executive has to obey judicial orders. Thus, Section 6(1) is a travesty of the rule of law which is one of the basic structures of the Constitution*
- ◆ *The Legislature may, in certain cases, overrule or nullify the judicial or executive decision by enacting appropriate legislation. However, without enacting appropriate legislation, the Executive or the Legislature cannot set at nought a judicial order. The Executive cannot sit in an appeal or review or revise a judicial order.*
- ◆ *The Appellate Tribunal consisting of experts and decides matters quasi-judicially. A Secretary and/or Minister cannot sit in appeal or revision over those decisions. At the highest, the Government may apply to the Tribunal itself for a review if circumstances warrant. But the Government would be bound by the ultimate decision of the Tribunal.*

It becomes clear why the Film Appellate Tribunal was abruptly abolished with immediate effect by an ordinance dated 04.04.2021. As long as it was in existence, the Government was bound by the Shankarappa Supreme Court judgment of 2000.

Early reactions of the film industry to the proposed amendments are naturally adverse: One news report states: "A group of filmmakers, academicians and students have criticised the proposed amendments to the Cinematograph Act, which could empower the Government to re-examine an already certified movie. They said the proposed changes would give the Government overriding power over cinema and threaten freedom of expression in India. This will also render filmmakers powerless at the hands of the State as they will be more vulnerable to threats, vandalism, and intimidation of mob censors."

का संबंध है। कार्यपालिका को उस निर्णय की समीक्षा और /या संशोधन करने की अनुमति देना एक अर्ध-न्यायिक बोर्ड द्वारा न्यायिक कार्यों के अभ्यास में हस्तक्षेप के समान होगा।

- * यह एक अर्ध-न्यायिक निकाय के निर्णय के अधीन कार्यपालिका की जांच के अधीन होगा। हमारे संविधान के तहत स्थिति उलट है। कार्यपालिका को न्यायिक आदेशों का पालन करना होता है। इस प्रकार धारा 6(1) कानून के शासन का उपहास है जो संविधान के बुनियादी ढांचे में से एक है।
- * विधायिका, कुछ मामलों में, उचित कानून बनाकर न्यायिक या कार्यकारी निर्णय को रद्द या रद्द कर सकती है। हालांकि उपयुक्त कानून बनाये बिना कार्यपालिका या विधायिका न्यायिक आदेश को शून्य पर स्थापित नहीं कर सकती है। कार्यपालिका अपील में नहीं बैठ सकती है या न्यायिक आदेश की समीक्षा या संशोधन नहीं कर सकती है।
- * अपीलीय न्यायाधिकरण विशेषज्ञों से मिलकर बनता है और मामलों को अर्ध-न्यायिक रूप से तय करता है। एक सचिव और/या मंत्री उन निर्णयों पर अपील या पुनरीक्षण में नहीं बैठ सकते हैं। उच्चतम स्तर पर सरकार ट्रिब्यूनल में ही समीक्षा के लिए आवेदन कर सकती है यदि परिस्थिति अनुकूल हो। लेकिन सरकार ट्रिब्यूनल के अंतिम निर्णय के लिए बाध्य होगी।

यह स्पष्ट हो जाता है कि फिल्म अपीलीय न्यायाधिकरण को दिनांक 04.04.2021 के एक अध्यादेश द्वारा तत्काल प्रभाव से क्यों समाप्त कर दिया गया था। जब तक यह आस्तित्व में था, सरकार 2000 के शंकरप्पा सुप्रीम कोर्ट के फैसले से बाध्य थी।

प्रस्तावित संशोधनों के लिए फिल्म उद्योग की प्रारंभिक प्रतिक्रियायें स्वाभाविक रूप से प्रतिकूल हैं: एक समाचार रिपोर्ट में कहा गया है कि 'फिल्म निर्माताओं, शिक्षाविदों और छात्रों के एक समूह ने सिनेमैटोग्राफ अधिनियम में प्रस्तावित संशोधनों की आलोचना की है, जो सरकार को पहले से प्रमाणित फिल्म की फिर से जांच करने के लिए सशक्त बना सकता है। उन्होंने कहा कि प्रस्तावित परिवर्तन सरकार को सिनेमा पर अधिभावी शक्ति प्रदान करेंगे और भारत में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता खतरे में आ जायेगी। यह फिल्म निर्माताओं को राज्य के हाथों शक्तिहीन कर देगा क्योंकि वे संसर की धमकियां, बर्बरता और डराने-धमकाने के प्रति अति-संवेदनशील होंगे।

The proposed Amendment quotes Article 19 (2) on Reasonable Restrictions. It controversially claims that since Section 5 B (1) provisions are derived from Article 19(2) of the Constitution and are non-negotiable... the amendments giving Government super revisionary power are sought to be introduced.

This, of course, is part of a continuing regulatory effort to bring Government oversight to all forms of media (other than print media) and is bound to be hotly debated and may ultimately be challenged in court.

D) Film Piracy

Film Piracy, particularly the release of pirated films on the internet, the Consultation Paper states, causes huge losses to the film industry and government exchequer. *In most cases, illegal duplication in cinema halls is the originating point of piracy.* At present, there are no enabling provisions to check **film piracy** in the **Cinematograph Act, 1952**, making it necessary to have a provision in the **Act** to check film piracy.

Therefore, the following amendments are proposed in the Draft Bill:

i. Insertion of new Section 6AA

- ◆ Prohibition of unauthorised recording “6AA. Notwithstanding any law for the time being in force, no person shall, without the written authorisation of the author, be permitted to use any audio-visual recording device in a place to knowingly make or transmit or attempt to make or transmit or abet the making or transmission of a copy of a film or a part thereof. **Explanation.** - For the purposes of this **Sub Section**, the expression “**author**” shall have the same meaning as assigned to it in **clause (d) of Section 2** of the **Copyright Act, 1957**.”

ii) Penalties for Piracy

Insertion of new sub-Section 1 A in Section 7- Penalties for contravention of this part 7(1 A).

- ◆ If any person contravenes the provisions of **Section 6AA**, he shall be punishable with

प्रस्तावित संशोधन में उचित प्रतिबंधों पर अनुच्छेद 19 (2) का हवाला दिया गया है। यह विवादास्पद रूप से दावा करता है कि चूंकि धारा 5 बी (1) प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 19 (2) से प्राप्त हुए और गैर परक्राम्य है... सरकार को सुपर रिवीजनरी पावर देने वाले संशोधनों को पेश करने की मांग की जाती है।

यह निश्चित रूप से सभी प्रकार के मीडिया (प्रिंट मीडिया के अलावा) पर सरकारी निगरानी लाने के लिए एक सतत नियामक प्रयास का हिस्सा है और इस पर गर्मागर्म बहस होना तय है और अंततः इसे चुनौती दी जा सकती है।

डी) फिल्म पायरेसी

फिल्म पायरेसी, विशेष रूप से इंटरनेट पर पायरेटेड फिल्मों के रिलीज, कंसल्टेशन पेपर में कहा गया है कि इससे फिल्म उद्योग और सरकारी खजाने को भारी नुकसान हो रहा है। **ज्यादातर मामलों में सिनेमा हॉल में अवैध नकल चोरी ही इसका मूल कारण है।** वर्तमान में **सिनेमैटोग्राफी अधिनियम 1952** में **फिल्म पायरेसी** को रोकने के लिए कोई सक्षम प्रावधान नहीं है जिससे फिल्म पायरेसी को रोकने के लिए अधिनियम में प्रावधान करना आवश्यक हो गया है। इसलिए मसौदा विधेयक में निम्नलिखित संशोधन प्रस्तावित है:

i) नयी धारा 6एए का सम्मिलन:

- ◆ अनाधिकृत रिकॉर्डिंग का निषेध 6एए। किसी भी कानून के लागू होने के बावजूद किसी भी व्यक्ति को, लेखक के लिखित आश्वासन के बिना, किसी भी ऑडियो विजुअल

रिकॉर्डिंग डिवाइस को जानबूझकर बनाने या प्रसारित करने या बनाने या ट्रांसमिट करने या बनाने के लिए प्रेरित करने का प्रयास करने की अनुमति नहीं दी जायेगी, या किसी फिल्म या उसके किसी भाग की प्रतिलिपि का प्रसारण करना। **स्पष्टीकरण:** इस **उपखंड** के प्रायोजनों के लिए अभिव्यक्ति “**लेखक**” का वही अर्थ होगा जो **कॉपीराइट अधिनियम 1957 की धारा 2 के खंड (डी)** में दिया गया है।

ii) पायरेसी के लिए दंड

इस भाग 7 (1ए) के उल्लंघन के लिए धारा 7-दंड में नयी उपधारा 1 ए का सम्मिलन।

- ◆ यदि कोई व्यक्ति धारा 6एए के प्रावधानों का उल्लंघन करता है



imprisonment for a term which shall not be less than **three months**, but which may extend to three years and with a fine which shall not be less than **three lakh rupees**, but which may extend to **5% of audited gross production cost** or with both. Also provided that, any act mentioned in **Section 52 of the Copyright Act, 1957 (Act 14 of 1957)** is not an **infringement** of the provision of **Section 6AA of this Act.**”

COMMENT:

According to Irdeto, a global solutions provider in digital platform security and media and entertainment, the Indian media and entertainment industry loses \$2.8 billion of its annual revenue to piracy. India is among the top five countries in peer-to-peer downloading. A recent report in a business paper claimed that with most cinema halls closed for the past 15 months due to Covid lockdown, the extent of film piracy had gone up. Any effort to curb film piracy will be welcomed by the industry.

5. IS A ZEE - VIACOM MERGER ON THE CARDS? - NOT REALLY

A report in a business paper claimed on **June 21, 2021** that

- ◆ “**Viacom 18 Media Pvt. Ltd**, the Colors general entertainment channel owner, and Subhash Chandra’s **Zee Entertainment Enterprises Ltd** are in initial talks for a potential merger that could create a large media firm with interests spanning broadcast, OTT, live entertainment, and movie production.
- ◆ **Viacom 18** is a joint venture between **TV18 Broadcast Ltd (51%)** and US-based **Viacom CBS Inc. (49%)**. **TV18** is a Network 18 Media and Investments Ltd unit owned by Mukesh Ambani’s **Reliance Industries Ltd (RIL)**. **Zee Entertainment Enterprises Ltd**, founded by **Essel Group’s** Subhash Chandra, is majority-owned by foreign institutional investors, including Investco, Oppenheimer Developing Markets Fund and Ofi



तो उसे कारावास से दंडित किया जायेगा, जो **तीन महीने** से कम नहीं होगा, लेकिन जो तीन साल तक हो सकता है और जुर्माना जो **तीन लाख रुपये** से कम नहीं होगा, लेकिन जो **लेखापरीक्षित सकल उत्पादन लागत का 5%** या दोनों के साथ बढ़ाया जा सकता है। यह भी बर्तते कि **कॉपीराइट अधिनियम 1957 (1957 का अधिनियम 14)** की धारा **52** में उल्लेखित कोई भी अधिनियम इस अधिनियम की धारा **6एए** के प्रावधान का उल्लंघन नहीं है।

टिप्पणी:

डिजिटल प्लेटफॉर्म सुरक्षा और मीडिया और मनोरंजन में वैश्विक समाधान प्रदाता इरडेटो के अनुसार, भारतीय मीडिया और मनोरंजन उद्योग को अपने वार्षिक राजस्व का 2.8 बिलियन डॉलर का नुकसान पायरेसी से होता है। भारत पीयर-टू-पीयर डाउनलोडिंग में शीर्ष पांच देशों में शामिल है। एक बिजनेस पेपर में हालही में आई एक रिपोर्ट में दावा किया गया है कि कोविड लॉकडाउन के कारण पिछले 15 महीनों से अधिकांश सिनेमा हॉल बंद हैं, फिल्म की पायरेसी की सीमा बढ़ गयी है। फिल्म पायरेसी पर अंकुश लगाने के किसी भी प्रयास का उद्योग द्वारा स्वागत किया जायेगा।

5. क्या ‘जी-वायकॉम’ का विलय संभावित है? - जरूरी नहीं।

21 जून 2021 को एक बिजनेस पेपर में दावा किया गया है कि

- ◆ **वायकॉम 18 मीडिया प्राइवेट लिमिटेड**, कलर्स जनरल इंटरटेनमेंट चैनल के मालिक और सुभाष चंद्रा की **जी इंटरटेनमेंट एंटरप्राइजेज लिमिटेड** एक संभावित विलय के लिए शुरूआती बातचीत कर रहे हैं, जो प्रसारण, ओटीटी, लाइव मनोरंजन और फिल्म निर्माण में रुचि रखने वाली एक बड़ी मीडिया कंपनी बना सकता है।
- ◆ **वायकॉम 18 टीवी 18 ब्रॉडकास्ट लिमिटेड (51%)** और यूएस स्थित **वायकॉम सीवीएस इंक (49%)** के बीच संयुक्त उपक्रम है। **टीवी 18** मुकेश अंबानी की **रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड (आरआईएल)** के स्वामित्व वाली एक नेटवर्क 18 मीडिया और निवेश लिमिटेड इकाई है। **एसेल ग्रुप** के सुभाष चंद्रा द्वारा स्थापित **जी एंटरटेनमेंट एंटरप्राइजेज लिमिटेड**, इनवेस्टको, ओपेनहाइमर डेवलपिंग मार्केट्स फंड और ओएफआई ग्लोबल फंड चाइना एलएलसी सहित विदेशी संस्थागत निवेशकों के

Global Fund China LLC. Essel Group's equity holding is down to **3.9%**, although the company continues to be run by Chandra's son Punit Goenka.

- ◆ "The merger of **Viacom 18** and **Zee** is proposed to be done through a **share swap deal**. The talks started a few weeks ago, and the agreement is unlikely to involve any cash transaction.

Within 24 hours, **Zee Entertainment Enterprises Ltd** informed the Bombay Stock Exchange that the story was **untrue**. It stated

- ◆ We herewith confirm that there is no such transaction being undertaken, and the matter is speculative in nature.

Viacom 18/Reliance kept a discreet silence.

Viacom 18 describes itself as one of India's fastest-growing entertainment networks and a house of iconic brands offering multi-platform, multi-generational and multicultural brand experiences. It claims to have properties online, on the ground, in-shop and through cinema.

Zee Entertainment's June 2021 investor presentation claims it has evolved into a 360-degree entertainment company with diverse content for a diverse Indian viewership reaching consumers wherever they are-with 30 years of solid relationship for content creation.

It claims strong partnership for distribution networks through Cable, DTH, Theatres, Telecom, and ISPs.

There is solid logic in a proposed merger looking to the long-term plans of **Reliance** in Telecommunication and Media. **Reliance** has enormous resources to spend at present. Still, no such plans were made clear in the recent AGM presentation by the **Reliance** Chairman.

Zee's current investor holding is concentrated in external investor firms, which are not likely to have long term interests in its growth.

But for the time being, guess one will have to let sleeping dogs lie. ■

स्वामित्व में है। एसेल ग्रुप की इक्विटी होल्डिंग घटकर **3.9%** रह गयी है, हालांकि कंपनी का संचालन चंद्रा के बेटे पुनित गोयनका कर रहे हैं।

- ◆ **वायकॉम 18** और **जी** का विलय एक **शेयर स्विप सौदे** के माध्यम से करने का प्रस्ताव है। बातचीत कुछ सप्ताह पहले शुरू हुई थी और इस समझौते में किसी भी नकद लेनदेन को शामिल करना संभव नहीं है।

24 घंटे के भीतर यह कहा गया कि **जी एंटरटेनमेंट एंटरप्राइजेज लिमिटेड** ने बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज को सूचित किया कि कहानी विल्कुल झूठी है।

- ◆ हम इसके साथ पुष्टि करते हैं कि ऐसा कोई लेनदेन नहीं किया जा रहा है और मामला प्रकृति में काल्पनिक है।

वायकॉम 18 और **रिलायंस** ने चुप्पी साधे रखी।

वायकॉम 18 खुद को भारत के सबसे तेजी से बढ़ते मनोरंजन नेटवर्कों में से एक और मल्टी प्लेटफॉर्म, मल्टी जेनरेशन और मल्टी कल्चर ब्रांड अनुभव प्रदान करने वाले प्रतिष्ठित ब्रांडों का घर बताता है। यह जमीन पर, दुकान में और सिनेमा के माध्यम से ऑनलाइन संपत्ति होने का दावा करता है।

जी एंटरटेनमेंट की जून 2021 की निवेशक प्रस्तुति का दावा है कि यह **360** डिग्री मनोरंजन कंपनी के रूप में विकसित हुई है जिसमें विविध भारतीय दर्शकों के लिए विविध सामग्री है, जहां वे उपभोक्ता तक पहुंचते हैं, कंटेंट निर्माण के लिए उसके पास **30** साल का ठोस अनुभव है।

यह केबल, डीटीएच, थियेटर, टेलीकॉम और आईएसपी के माध्यम से वितरण नेटवर्क के लिए मजबूत साझेदारी का दावा करता है।

दूरसंचार और मीडिया में रिलायंस की दीर्घकालिक योजनाओं को देखते हुए प्रस्तावित विलय में ठोस तर्क है। **रिलायंस** के पास फिलहाल खर्च करने के लिए काफी संसाधन हैं। फिर भी **रिलायंस** के अध्यक्ष द्वारा हालही में एजीएम प्रस्तुति में ऐसी कोई योजना स्पष्ट नहीं की गयी थी।

जी की वर्तमान निवेशक होल्डिंग बाहरी निवेशक फॉर्मों में केंद्रित है जिनके विकास में दीर्घकालिक हित होने की संभावना नहीं है।

लेकिन फिलहाल के लिए अंदाजा लगाना पड़ेगा कि सोये हुए कुत्ते को झूठ बोलने देना होगा। ■



INDIA'S MOST RESPECTED TRADE MAGAZINE FOR THE CABLE TV, BROADBAND, IPTV & SATELLITE INDUSTRY



... You Know What You Are Doing
But Nobody Else Does

ADVERTISE NOW!

Contact:
Mob.: +91-7021850198
Email: scat.sales@nm-india.com